

प्रेस नोट

पुलिस जिला अजमेर

दिनांक 07-02-18

चोरी का आरोपी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना अराई पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर व पुलिस उप अधीक्षक वृत किशनगढ ओमप्रकाश किलानियां के निर्देशानुसार अजमेर पुलिस स्पेशल टीम प्रभारी जगमाल रणवीर सिंह देवेन्द्र सिंह हरिराम बाना थाना से गठित विशेष टीम तेजाराम उ.नि., अर्जुन राम हैड कानि. रामस्वरूप रामावतार लोकेश कुमार विरेन्द्र कुमार की संयुक्त टीम का गठन किया जाकर थाना के प्रकरण संख्या 09/2018 धारा 457, 380 भादस में मुल्जिम 1. श्योजी पुत्र हीरा जाति बागरिया उम्र 24 साल निवासी सुनाडिया पुलिस थाना दुदू, 2. सीताराम पुत्र हीरा जाति बागरिया उम्र 22 साल निवासी सुनाडिया पुलिस थाना दुदू 3. बोदु पुत्र घीसा जाति बागरिया उम्र 40 साल निवासी सनोदिया पुलिस थाना दुदू, 4.

हनुमान पुत्र मल्लाराम जाति बागरिया उम्र 19 साल निवासी माल की ढाणी पुलिस थाना दुदू जिला जयपुर को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान द्वारा दिनांक 20.01.2018 को गेहलपुर माताजी मन्दिर में रात्रि के समय मन्दिर के ताले तोड़कर नकदी व सोने चान्दी के आभुषण चोरी कर ले जाने की वारदात कबूल की है। मुलजिमान से चोरी गये माल की बरामदगी के प्रयास जारी है। दौराने पूछताछ मुल्लिमान से अन्य वारदातें खुलने की सम्भावना है।

स्थाई वारण्टी मे एक स्थाई वारण्टी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना आदर्शनगर वाछित स्थाई वारण्टी बन्टी पुत्र नारायण जाति यादव निवासी सिन्धी काँलोनी भगवान गंज थाना रामगंज जिला अजमेर को गिरफ्तार किया गया। जिसे कल दिनांक 8.2.2018 को न्यायलय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या 4 अजमेर मे पेश किया जावेगा।

